



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092020-222098
CG-DL-E-29092020-222098

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942

No. 484]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 593(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास(संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास नियम, 2017 के नियम 33 में खंड (ख)के पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात:-

“परंतु इस नियम के अधीन आवंटिती को उसी प्रकार के या उच्चतर प्रकार के वास का प्रकार्य के आधार पर प्रदान किया गया एक परिवर्तन, बिना पारी के नए सिरे से आवंटन के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि किया गया आवंटन इन नियमों के अधीन उद्भवदस्थों के लिए विहित कोटा की सीमाओं के भीतर है।”

[फा. सं. 12035/22/2000-नीति-II(जिल्द-II)]

डी. तारा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना साख्यांक सा.का.नि. सं. 598(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 99 (अ) तारीख 08 फरवरी, 2019 एवं सा.का.नि. सं. 883(अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 और सा.का.नि. सं. 489(अ), तारीख 5 अगस्त, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DIRECTORATE OF ESTATES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

G.S.R. 593(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Government General Pool Residential Accommodation (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017, in rule 33, in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that grant of one change to the allottee under this rule, of the same type or higher type of accommodation on functional ground shall not be treated as fresh out of turn allotment, if the allotment made is within the limits of quota of units prescribed for the dignitaries under this rules.”

[F. No. 12035/22/2000-Pol.II(VoI.II)]

D. THARA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 598(E), dated the 19th June, 2017 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R 99(E), dated the 8th February, 2019, G.S.R 883(E), dated the 29th November, 2019 and G.S.R 489(E), dated the 5th August, 2020.